बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023.6751 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 108 दिनांक 19.01.2023 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02104) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये माह जनवरी, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि में 140 दिन बिना सक्षम पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत कराए हुए अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार की अनुपस्थिति से सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। इन्हें लापरवाह, कर्त्तव्यहीन, अनुशासनहीन कर्मी बताते हुए सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2710 दिनांक 13.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा लगभग ढ़ाई माह तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के तहत इन्हें पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 5154 दिनांक 21.06.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का मौका दिया गया है। इतने स्पष्ट निदेश एवं अवसर प्रदान करने के उपरांत भी अपने उपर लगे आरोपों की विरूद्ध स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि ये अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के आदतन है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाना भी वरीय पदाधिकारियों एवं कार्य के प्रति इनके स्वेच्छाचारिता, मनमानापन एवं आदेशोल्लंघन का परिचायक है। इनपर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में इन्हें दो बार मौका दिया गया है परन्तु ये अपना पक्ष रखना नहीं चाहते हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप इनके कृत्य से प्रमाणित होता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है, जिसमें इनकी सहभागिता की आवश्यकता है, परन्तु इनके कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के कारण निर्धारित लक्ष्य बाधित हुआ है। अतः ऐसे कर्मी का संविदा नियोजन बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री रविन्द्र कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02104) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 2/8/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ॰पृ॰उ॰

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022 6251 **पटना, दिनांक** 04/09/2023

प्रतिलिपि :– श्री रविन्द्र कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02104), बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/23

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022 6251 **पटना, दिनांक** :- 04/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/23

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022 6251 **पटना, दिनांक** :- 04/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/8/23

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप